संख्या-11/2016/ए-1-23ए0जी0/दस-2016-10(38)/2011

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव,
पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(5) प्रमुख सचिव,
सहकारिता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(6) सचिव,
नगर विकास तथा नगरीय रोजगार
एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(7) प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2016

विषय- शासन द्वारा प्रदत्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री मनीष कुमार, प्रधान महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय पत्रांक-टी0एम0-(सी0)/उ0प्र0 पत्र/213, दिनांक 12-07-2016 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 से 2014-2015 तक आपके विभागों को दिये गये करीब 13570 अनुदान मदों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

2- इसी सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-19/2015/ए-1-48ए0जी0/दस-2015-10(38)/2011, दिनांक 08 जनवरी, 2016 द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि महालेखाकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in के अन्तर्गत AGUP>ACCOUNTS>U.C. Awaited में लम्बित आइटमों का पूरा विवरण कोषागारवार उपलब्ध है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी अपेक्षानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित अनदुानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यदि सूची में प्रदर्शित जिन-जिन मदों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाना आवश्यक न हो, तो भी ऐसे मदों के सम्बन्ध में अलग से महालेखाकार कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-11/2016/ए-1-23ए0जी0(1)/दस-2016-10(38)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्रांक-टी0एम0-(सी0)/उ0प्र0 पत्र/213, दिनांक 12-07-2016 के क्रम में।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।